विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

योजना के दिशानिर्देश ''विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों/संगठनों में परस्पर मानव संसाधनों के आदान–प्रदान हेतु संयुक्त नियुक्ति''

1. **प्रस्तावनाः**

   उच्च शिक्षा से संबद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों मे बौद्धिक/शोध पर्यावरण को सशक्त करने के लिए आयोग कई योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है। तथापि, ऐसा पाया गया है कि विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों द्वारा इन कार्यक्रमों का इष्टतम लाभ नहीं उठाया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में एवं इन विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, उत्कृष्टता केन्द्रों तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों एवं औद्योगिक शोध एवं विकास प्रयोगशालाओं के मध्य परस्पर वांछित स्तर पर अकादमिक अन्योन्यक्रिया एवं सहभागिता के अभाव के फलस्वरूप, मौजूदा प्रतिभाशाली मानव संसाधनों की संपूर्ण संभाव्यता प्राप्त नहीं हो पा रही है। कुछ अन्य घटकों, जिनमें ऐसे अवस्थितिजन्य लाभ एवं अलाभकारी तत्व भी शामिल हैं, जो अध्यापाकों/वैज्ञानिकों की गत्यात्मकता को अवरूद्ध करने वाले हैं, उन घटकों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य घटक हैं जो उन बुद्धिजीवियों द्वारा उनके विशेषज्ञता क्षेत्रों में होने वाले नूतन विकास के उद्‌भव को बाधित करने वाले हैं। भारतवर्ष जैसा विस्तृत देश, जिसमें विभिन्न स्वरूप एवं वर्ण एवं विविधताएँ सम्मिलित हैं, अनिवार्य है कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत संकाय सदस्यों एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/स्वायत्तशासी संस्थानों एवं औद्योगिक शोध एवं विकास प्रयोशालाओं में सेवारत समस्त अध्यापकों/शोधकर्ताओं के मध्य निरन्तर अन्योन्यक्रिया तथा विचारों का आदान–प्रदान बना रहे। इस योजना का उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत समस्त संकाय सदस्यों/वैज्ञानिकों की योग्यता का लाभ प्राप्त किया जा सके तथा उन्हें अभिप्रेरित किया जाये जिससे एक विशेष अवधि के लिए अकादमिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इसका एक लक्ष्य यह भी है कि महानगरों में कार्यरत संकाय सदस्य/वैज्ञानिकों के लिए ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यायलों/संस्थानों/शोध एवं विकास प्रयोगशालाओं के माध्यम से अद्यतन विकास संबंधी जानकारी उपलब्ध कर पाना तथा एतद्‌द्वारा विभिन्न सहभागी संस्थानों में ज्ञान एवं अवसंरचना के अभाव को सेतुबद्ध करना।

2. **उद्देश्यः**

(i) विश्वविद्यालयी व्यवस्था के अकादमिक पर्यावरण में सुधार हेतु सहभागिता, विभिन्न विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों एवं औद्योगिक शोध एवं विकास

प्रयोगशालाओं के साथ औपचारिक सह–संबंधों द्वारा ज्ञान की समस्त शाखाओं में अध्यापन, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों द्वारा सुधार लाना।

(ii) विश्वविद्यालयी प्रणाली में विद्यमान विशेषज्ञों से लाभ अर्जित करने की दिशा में गैर–विश्वविद्यालयी संस्थानों को प्रोत्साहित करना।

3. योजनाः

इस परियोजना का लक्ष्य यह है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य एवं किसी भी एक विशिष्ट विश्वविद्यालय एवं कुछ अन्य संस्थानों/संगठनों, के इसके विपरीत मानव संसाधनों को उपलब्ध कराना एवं इनको संयुक्त रूप से उपलब्ध कराने के प्रति समर्थन देना। इसमें निम्न सम्मिलित होंगेः–

(i) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, अन्तर विश्वविद्यालयी केन्द्र एवं राष्ट्रीय सुविधाएँ।

(ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ, स्वायत्तशायी अकादमिक संस्थान एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR)/भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICSSR), प्राकृतिक विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संस्थान, एवं,

(iii) औद्योगिक शोध एवं विकास प्रयोगशालाएँ।

4. पात्रताः

क.

(i) ऐसा कोई भी अध्यापक जो किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय/संबद्ध महाविद्यालय में जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है, नियमित पद पर नियुक्त है, वह इस परियोजना के अंतर्गत विचारार्थ पात्र है।

(ii) ऐसा अध्यापक, जो शोध कार्य में सक्रिय रूप से रत है, जिसकी उच्चकोटि की शोध रचनाओं का आकलन उस संस्थान द्वारा विकसित पारदर्शी विधि के माध्यम से किया जाना चाहिए। गत पाँच वर्षों में किये गए शोध कार्य को उचित प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

ख.

(i) इस परियोजना के अंतर्गत, ऐसे वैज्ञानिक जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान अंतर्विश्वविद्यालयी केन्द्रों, राष्ट्रीय सुविधाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान एवं मानविकी के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्/भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् CSIR/ICSSR संस्थानों तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक को सहायता प्रदान की जा सकती है।

(ii) उधोग (निगमित या गैरनिगमित संगठन) में कार्यरत कोई भी व्यक्ति, जिसके पास अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण शोध कार्य का साक्ष्य है, उसे इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालय/संबद्ध महाविद्यालय में आमंत्रित किया जा सकता है।

5. समझौता ज्ञापन (MOU)

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/संगठनों के मध्य सम्मत अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार किया जा सकता है जिसके अंतर्गत सम्मिलित मानव संसाधनों की संयुक्त नियुक्ति हेतु आदान–प्रदान एवं सहभागी संस्थानों/संगठनों की प्रविधियाँ एवं शर्तें बाध्यकारी हों।

(i) संकाय सदस्य/वैज्ञानिक की चयन प्रक्रिया
(ii) अध्यापन, शोध एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु सहभागिता संबंधी विवरण
(iii) मेजबान संस्थान द्वारा प्रदान करायी जाने वाली सुविधाएँ
(iv) अपेक्षित परिणामों का विवरण एवं
(v) सहभागिता के परिणामों के पर्यवेक्षण हेतु तंत्र

6. अवार्डी की संयुक्त नियुक्ति की अवधि एवं सेवाशर्तें

अपने मूल संस्थान में ड्यूटी पर कार्य अवधि को ही संयुक्त नियुक्ति की कुल अवधि माना जाएगा। यह संयुक्त नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष की होगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित व्यक्ति न्यूनतम 3 माह एवं मेजबान संस्थान में एक ही बार अधिकतम 6 माह तक कार्यरत रहेगा। संयुक्त नियुक्ति की अवधि के दौरान, ऐसा अवार्डी उन सभी शर्तों के अधीन रहेगा जो उसके मूल संस्थान द्वारा निर्धारित की गई हैं।

7. निधि

मेजबान संस्थान के माध्यम से सहायक प्रोफेसर या समकक्ष को ₹ 15,000/– सह प्रोफेसर या समकक्ष को ₹ 25,000/– तथा प्रोफेसर या समकक्ष को ₹ 35,000/–

प्रतिमाह यूजीसी मानेदय के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अवार्डी द्वारा मूल एवं मेजबान संस्थान के मध्य की गई यात्रा व्यय को यूजीसी द्वारा मेजबान संस्थान के माध्यम से नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। उस मामले में, जहाँ मेजबान संस्थान/संगठन एक ऐसा उद्योग है जो प्रत्यक्ष रूप से यूजीसी से किसी भी प्रकार की निधि प्राप्त करने का हकदार नहीं है तो उस स्थिति में, मानदेय एवं यात्रा व्यय का भुगतान अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा किया जाएगा। यह समस्त राशि, अवार्डी को प्राप्त होने वाले वेतन के अतिरिक्त होगी तथा मूल संस्थान द्वारा इसका भुगतान निरंतर किया जाता रहेगा।

उसे निशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों एवं समकक्षों के साथ सहकार्यों एवं सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए मेजबान संस्थान, उस अवार्डी को उपयुक्त कार्यस्थल, शोध अवसंरचना एवं शोधनिधियन (आवश्यक होने पर) भी उपलब्ध करायेगा।

8. चयन

इस योजना के अंतर्गत, अवार्डी की चयन प्रक्रिया की सुस्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रिया का उत्तरदायित्व मूल विश्वविद्यालय/संस्थान पर होगा। किसी भी विशेष अकादमिक वर्ष के दौरान यूजीसी, किसी भी आदाता विश्वविद्यालय के लिए 5 से अधिक अवार्डी को समर्थन प्रदान नहीं करेगी तथा किसी भी आदाता महाविद्यालय में 2 से अधिक अवार्डी का समर्थन नहीं करेगी। तथापि, इस योजना के तहत किसी भी अकादमिक वर्ष के दौरान, प्रदाता संस्थान/संगठन निर्णयानुसार जितने भी चाहे अवार्डी भेज सकता है।

9. पर्यवेक्षण

मेजबान संस्थान, एक ऐसा पारदर्शी तंत्र विकसित करेगा जिसके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अवार्डी की गतिविधियों से संबद्ध परिणामों का संचालन किया जाएगा तथा इस विषय में अवार्डी द्वारा आयोग/मूल संस्थान में किए गये दौरे का एक प्रगति विवरण प्रेषित किया जाएगा। अवार्डी की प्रगति, दो वर्षो। तक निरंतर असंतोषजनक पायी जाने पर कोई भी सहभागी संस्थान/संगठन उसका नामांकन निरस्त कर सकता है। अवार्डी के समग्र कार्यनिष्पादन को इस योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समानुकूल नहीं पाया जाने पर यूजीसी को इसका अवार्ड निरस्त करने का अधिकार होगा।